भारत सरकार
आयुष मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3155

13 दिसम्बर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष सेवाएं प्रदान करना

3155. श्री जी. सेल्वम:
श्री सी.एन. अन्नादुरई:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता के संबंध में राष्ट्रीय आयुष मिशन के प्रमुख घटक क्या हैं;
(ख) क्या सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सीएचसी) और जिला अस्पतालों में आयुष सेवाओं की व्यवस्था में विशिष्ट कमियों की पहचान की है;
(ग) अवसंरचना विकास, जनशक्ति प्रशिक्षण और जागरूकता अभियानों सहित कमियों को पूरा करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं;
(घ) प्राथमिक और द्वितीयक स्वास्थ्य देखभाल पद्धतियों में आयुष सेवाओं के पूर्ण एकीकरण को प्राप्त करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है;
(ङ) दूरस्थ और जनजातीय क्षेत्रों में वैकल्पिक चिकित्सा उपचार प्रदान करने में किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है;
(च) क्या सरकार ने एनएएम के अंतर्गत आयुष सेवाओं के विस्तार हेतु लक्ष्य निर्धारित किए हैं; और
(छ) यदि हां, तो इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

उत्तर
आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता के संबंध में राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) के प्रमुख घटक निम्नानुसार हैं:-

i. मौजूदा आयुष औषधालयों और उप स्वास्थ्य केंद्रों को उन्नत करके आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) का संचालन।
ii. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंदों (सीएचसी) और जिला अस्पतालों (डीएच) में आयुष सुविधाओं की सह-स्थापना।
iii. मौजूदा एकल सरकारी आयुष अस्पतालों का उन्नयन।
iv. मौजूदा सरकारी/पंचायत/सरकारी सहायता प्राप्त आयुष औषधालयों का उन्नयन/मौजूदा आयुष औषधालय (किराए पर/जीर्ण-शीर्ण आवास) के लिए भवन का निर्माण/उन क्षेत्रों में नए आयुष औषधालय की स्थापना के लिए भवन का निर्माण, जहां कोई आयुष सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।
v. 10/30/50 बिस्तरों वाले एकीकृत आयुष अस्पतालों की स्थापना।
vi. राजकीय आयुष अस्पतालों, राजकीय औषधालयों और सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थागत आयुष अस्पतालों को अनिवार्य औषधियों की आपूर्ति।
vii. आयुष जन स्वास्थ्य कार्यक्रम।
viii. उन राज्यों में नए आयुष महाविद्यालयों की स्थापना जहां सरकारी क्षेत्र में आयुष शिक्षण संस्थानों की उपलब्धता अपर्याप्त है।
ix. आयुष स्नातक संस्थानों और आयुष स्नातकोत्तर संस्थानों का अवसंरचनात्मक विकास/पीजी/फार्मेसी/पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों को शामिल करना।

(ख) से (ङ): आयुष को मुख्यधारा में लाना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मुख्य नीतियों में से एक है, जिसका उद्देश्य लोगों को सुलभ, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

(एनएचएम) के तहत, आयुष चिकित्सकों/पैराचिकित्सकों की नियुक्ति और प्रशिक्षण को सहयोग प्रदान किया जाता है, बशर्ते वे मौजूदा जिला अस्पतालों (डीएच), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) के साथ स्थित हों और दूरदराज के पीएचसी और सीएचसी को प्राथमिकता दी जाती है। आयुष मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) के तहत साझा जिम्मेदारियों के रूप में आयुष अवसंरचना, उपकरण/फर्नीचर और दवाओं के लिए सहयोग प्रदान किया जाता है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र क्रमशः एनएएम और एनएचएम के तहत राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) और कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) के माध्यम से उपयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत करके वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

एनएचएम के तहत सह-स्थापित 13,146 आयुष सुविधाओं [6,354 पीएचसी, 3,010 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी), 474 जिला अस्पताल (डीएच), उप-केंद्र (एससी) से ऊपर लेकिन ब्लॉक स्तर से नीचे 3107 स्वास्थ्य सुविधाएं और सीएचसी के अलावा ब्लॉक स्तर पर या उससे ऊपर लेकिन जिला स्तर से नीचे 201 स्वास्थ्य सुविधाएं] में आयुष को मुख्यधारा में लाया गया है। 24,989 आयुष चिकित्सक और 2709 पैराचिकित्सक विभिन्न सह-स्थापित स्वास्थ्य सुविधाओं (एनएचएम-एमआईएस के अनुसार दिनांक 30.06.2024 तक) में कार्यरत हैं।

(च) और (छ): आयुष मंत्रालय देश में आयुष सेवाओं के समग्र विकास, संवर्धन और विस्तार के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के माध्यम से राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केंद्रीय प्रायोजित योजना को कार्यान्वित कर रहा है। चूंकि एनएएम योजना का कार्यान्वयन संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के कार्यक्षेत्र में आता है, तदनुसार भारत सरकार द्वारा कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा रहे हैं।

*****